सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 17 जनवरी, 1953 ई०

उत्तर प्रदेशीय सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 153/17—315-1952

दिनांक लखनऊ, 15 जनवरी, 1953

विज्ञप्तियां

विविध

भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के खंड (2) के उपखंड (ए) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके गर्वनर महोदय उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सत्रावसान 12 जनवरी, 1953 ई० से करते हैं।

संख्या 81/17—301-1952

दिनांक लखनऊ, 17 जनवरी, 1953

भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 14 जनवरी, 1953 ई० को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान की और वह सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है,

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम, 1952

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1953)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, 1944 में संशोधन करने के निमित्त — यू०पी० ऐक्ट 3. 1944

अधिनियम

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू०पी० फायर सर्विस ऐक्ट, 1944 में संशोधन करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : — यू०पी० ऐक्ट 3, 1944

1—(1)—इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम, 1952 होगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2)—यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2—यू०पी० फायर सर्विस ऐक्ट, 1944 (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में शब्द — यू०पी० ऐक्ट, 3, 1944 की धारा 4 का संशोधन

"(1) Fire Station Officers, (2) Fire Station Second Officers, (3) Leading Firemen, and (4) Drivers and Firemen" के स्थान पर निम्नलिखित रखें जायं :

"(1) Chief Fire Officers,
(2) Fire Station Officers,
(3) Fire Station Second Officers,
(4) Leading Firemen and Drivers and
(5) Firemen".

3—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

यू०पी० ऐक्ट 3, 1944 की धारा 5 का संशोधन

Superintendence Powers and Functions

5. (1) The superintendence and Control of the U.P. fire Service shall vest in the Inspector General of Police, and subject to the general control of the Inspector General of Police, in the District Superintendent of Police within the area of his jurisdiction.

(2) The State Government may appoint such officers as it may think fit to assist the Inspector General of Police and the Superintendent of Police in the discharge of their duties.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Chief Fire Officer, Fire Station Officers and Fire Station Second Officers shall exercise such administrative powers and perform such administrative functions as may be prescribed."

यू०पी० ऐक्ट 3, 1944 में नई धारा 19-ए का रखा जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 19 के बाद निम्नलिखित नई धारा 19-ए के रूप में रख दी जाय :

"Power to search premises"

19-A. (1) The Chief Fire Officer or any officer authorized by the Superintendent of Police in this behalf may enter and inspect any land, premises or building for the purpose of determining whether the precautions against fire required to be taken on such Land, premises and buildings under any law for the time being in force have been so taken.

(2) If any person voluntarily obstructs, officers any resistance to, or impedes or otherwise interferes with any Officer acting in the course of his duty under sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine upto Rs. 500 or with both."

आज्ञा से,
रणधीर सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश।